बिहार सरकार

कृषि विभाग।

पत्र संख्या- 11/कृ.नि.भू.सं.(यो.)31/2014- /भू0 सं0, पटना, दिनांक

प्रेषक,

प्रभु राम (बि.प्र.से),
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा से परामर्शित। : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : केन्द्र प्रायोजित समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP के संस्थागत उन्नयन मद में वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए कुल स्वीकृत राशि 776.50 लाख रुपये (शत प्रतिशत केन्द्रांश) के अधीन वर्ष 2015-16 में सामान्य वर्ग हेतु 110.073 लाख (एक करोड़ दस लाख सात हजार तीन सौ) रु0 के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP के संस्थागत उन्नयन मद में वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए कुल स्वीकृत राशि 776.50 लाख रुपये के अधीन वर्ष 2015-16 में सामान्य वर्ग हेतु 110.073 लाख (एक करोड़ दस लाख सात हजार तीन सौ) रु0 के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके माध्यम से राज्य के 14 जिलों के 6.12 लाख हेक्टेयर भू-भाग को उपचारित करने का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु 84154.00 लाख रु0 (90 प्रतिशत केन्द्रांश/10 प्रतिशत राज्यांश) की परियोजना का क्लियरेंस/अपराईजल भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार से प्राप्त है, राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा इस परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त योजना से सम्बद्ध कर्मियों के मानदेय एवं अन्यान्य व्यय हेतु वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के लिए 776.50 लाख रु0 (100 प्रतिशत) की संस्थागत उन्नयन योजना राज्य मंत्रिपरिषद् से स्वीकृत है।

3. स्वीकृत राशि का व्यय समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) योजना से सम्बद्ध कर्मियों (राज्य स्तर पर SLNA के सभी कर्मी एवं जिला स्तर पर WCDC में पदस्थापित Technical Expert, Accountant एवं Data Entry Operator) के मानदेय एवं अन्यान्य व्यय (यात्रा व्यय एव कार्यालय व्यय) आदि पर किया जायेगा।

4. योजना का कार्यान्वयन भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत सामान्य मार्ग दर्शिका 2008, संशोधित संस्करण-2011 (Common Guide line for Watershed Development Projects, GoI Revised Edition 2011) के आलोक में कृषि विभाग द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरुप सुनिश्चित किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन के सम्बंध में प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

5. भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार विकास पटना से स्वीकृत राशि की निकासी हेतु विपत्र बी0टी0सी0 फार्म 46 में तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर अंतर विभागीय अंतरण जमा के माध्यम से राशि बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाइटी, पटना के पी0एल0 खाता संख्या PLA-265 में अंतरित की जायेगी। निकासी की गई राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर महालेखाकार/कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा, साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 341 के अनुरुप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवर्यता होगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कुल स्वीकृत राशि 110.073 लाख रु0 में से 94.876 लाख (चौरानवे लाख सतासी हजार छः सौ) रु0 का व्यय मुख्य शीर्ष 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-मृदा संरक्षण, उप शीर्ष- 0213 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्लू.एम.पी.) मॉग संख्या-1, विपत्र कोड-P2402001020213 विषय शीर्ष 31 04 सहायक अनुदान वेतन अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के बजट में उपबंधित राशि 189.74 लाख रु0 से विकलनीय होगा।

7. कुल स्वीकृत राशि 110.073 लाख रु0 में से 15.197 लाख (पंद्रह लाख उन्नीस हजार सात सौ) रु0 का व्यय मुख्य शीर्ष 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-मृदा संरक्षण, उप शीर्ष- 0213 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्लू.एम.पी.) मॉग संख्या-1, विपत्र कोड-P2402001020213 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के बजट में उपबंधित राशि 68.06 लाख रु0 से विकलनीय होगा।

8. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार के पत्रांक K-11013/20/2009 IWMP (IS) दिनांक 25.11.2014 द्वारा 1.3261855 करोड रु0 केन्द्रांश विमुक्त किया गया है। यह राशि राज्य के समेकित निधि में प्राप्त हो चुकी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधना विभाग, भारत सरकार द्वारा उक्त राशि का उपयोग वर्ष 2015-16 में करने की अनुमति प्रदान की गई

9. मंत्रिमंडल संचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96वि0(2)दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की स्वीकृति संचिका संख्या 11/कृ.नि.भू.सं.(यो.)31/2014 के पृ0 23/टि0 पर दिनांक 24.03.2015 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355वि0(2)दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

11. राज्योदश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 11/कृ.नि.भू.सं(यो.) 31/2014 के पृ0 35/टि0 पर दिनांक 11.09.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(प्रभु राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक - /भू0सं0, पटना, दिनांक

प्रति :- 1. प्रभारी पदाधिकारी अंकेक्षण, महालेखाकार (ले0ह0) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. डा0 सी0पी0रेड्डी, उपायुक्त (ज0वि0) भूमि संसाधन विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार/विकास आयुक्त, बिहार -सह- अध्यक्ष, BWDS के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक - 4768 /भू0सं0, पटना, दिनांक 22-09-2015

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS/ निदेशक, उद्यान, बिहार/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सम्बंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण/सभी योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी -सह- सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप कृषि निदेशक (सूचना)/ आई0टी0मैनेजर, कृषि विभाग को विभाग के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।